नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –N-1/ 339 /

दिनांक 01-04-2015 /

श्री रामनाथ साह, तदेन रोकड़पाल (लेखा सहायक) सम्प्रति सेवानिवृत जब विद्युत आपर्ति अवर प्रमंडल, कटिहार में रोकड़पाल के रूप में पदस्थापित थे, तो उनके विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने नियमों की अवहेलना एवं अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के निम्न आरोपों के लिए कार्यालय आदेश सं0 2839, दिनांक 20.09.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिससमें जाँच पदाधिकारी के रूप में श्री जेड0 एच0 परवेज, विद्युत अधीक्षण अभियंता (क्रय एवं भंडार), मुख्यालय, पटना को नियुक्त किया गया:–

आरोप सं0 01:– श्री साह को इस तथ्य की जानकारी थी कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपर्ति प्रमण्डल, कटिहार ने अपने पत्रांक 870, दिनांक 24.10.2002, 1071, दिनांक 27.12.2002 एवं पत्रांक 433, दिनांक 10.04.2003 द्वारा सहायक विद्युत अभियंता, कटिहार (शहरी) को निदेश दिया है कि जब तक सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति नहीं होती है तब तक बोर्ड के राजस्व को सुरक्षित बैंक पहुँचाने हेतु संबंधित थाना से सम्पर्क कर आरक्षी की व्यवस्था की जाए परन्तु श्री साह द्वारा सूचना होने के उपरान्त भी इसे नजर अंदाज किया गया।

आरोप सं0 02 पूर्व से ही यह निदेश प्राप्त था कि जीप पर 4–5 कर्मचारियें को अवश्य लिया जाय, ताकि संभावित अप्रिय घटना को कम किया जा सके परन्तु घटना की तिथि 29.07.2003 को राजस्व समाहरण की राशि बैंक ले जाने के कम में श्री साह द्वारा उक्त निदेश का पालन नही किया गया ।

आरोप सं0 03:–सहायक विद्युत अभियंता द्वारा दिनांक 28.07.2003 को शाम में कैश मिलाने एवं कैश की राशि अपने कार्यालय के चेस्ट में रखने के बाद आपको निदेश दिया गया था कि दिनांक 29.07.2003 को फोर्स आने के बाद ही बैंक में पैसा जमा कराया जाएगा परनतु, आपके द्वारा लापरवाही बरती गई निदेश का पालन नहीं किया गया न ही थाना से फोर्स आने एवं सहायक विद्युत अभियंता के आने का इंतजार किया गया।

आरोप सं0 04:– सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार द्वारा कैश मिलाने के बाद चेस्ट की दोनों चाभी अपने पास रखी, जबकि फाईनान्सियल एवं एकाउन्ट कोड चेप्टर 05 के कंडिका 37 में निहित, प्रावधान के अनुसार चेस्ट

की एक चाभी सहायक विद्युत अभियंता को देनी थी परनतु श्री साह द्वारा ऐसा नहीं कर चेस्ट की दोनों चाभी अपने पास रख ली गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री साहू की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदराना कार्रवाई के कारण राजस्व समाहरण की लूट हुई ।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.01.2012 को समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्य एवं कागजातों की सम्यक समीक्षा की गई एवं आरोप पत्र में अंकित आरोपों में आरोप सं0 01, के प्रमाणित होने का आधार अंकित करते हुए संकल्प सं0 983, दिनांक 12.08.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पुछा गया। श्री साहू द्वारा दिनांक 30.08.2013 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री साहू द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनको विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार के पत्रांक 870, दिनांक 24.10.2002,1071, दिनांक 27.12.2002 एवं 433, दिनांक 10.04.2013 की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, एवं घटना के दिन भी सहायक विद्युत अभिंयता द्वारा थाना से पुलिस बल से सुरक्षा की अधियाचना या सुरक्षा की व्यवस्था की कोई चर्चा दुर्घटना से पहले तक उनसे नहीं की गई थी, जिम्मेवारी से भागने, तथ्यहीन तर्क देने का प्रयास मात्र है। श्री साह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः सम्पूर्ण मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री रामनाथ साह तदेन रोकड़पाल (लेखा सहायक) सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत उनके पेंशन से 1% (एक प्रतिशत) राशि को स्थायी रूप से काटने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अन्तर्गत श्री साह के पेंशन से 1% (एक प्रतिशत) की स्थायी कटौती का आदेश दिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति श्री रामनाथ साह तदेन रोकड़पाल (लेखा सहायक) सम्प्रति सेवानिवृत, टिन फ्लैट प्रोफेशनल फ्लैट न0 01, गोलमुरी, जमशेदपुर, झारखण्ड, पिन–831003 को अग्रसारित की जाय।

आदेश से,

(राकेश रंजन,)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0 सं0 / प्रशा0)

ज्ञापसंख्या— 340 ———— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / तकनीकी सचिव / अवर सचिव / निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक, बी0एस0पी0जी0सी0एल0 के अवर सचिव / प्रबंध निदेशक, बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राकेश रंजन,)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0 सं0 / प्रशा0)

ज्ञाप संख्या — 340 ———— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

प्रतिलिपिः—महाप्रबंध (मानव संसाधन) / सभी मुख्य अभियंता / सभी उप महाप्रबक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / वित नियंत्रक / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) / वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / उप महाप्रबंध (जनसम्पर्क) / सभी लेखा पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी (स्थापना) / श्री रामनाथ साह तदेन रोकड़पाल (लेखा सहायक) सम्प्रति सेवानिवचृत, टिन फ्लैट प्रोफेशनल फ्लैट न0 01, गोलमुरी, जमशेदपुर, झारखण्ड, पिन—831003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राकेश रंजन,)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0 सं0 / प्रशा0)

ज्ञापसंख्या — 340 ———— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

प्रतिलिपिः—श्री रामनाथ साह तदेन रोकड़पाल (लेखा सहायक) सम्प्रति सेवानिवृत, टिन फ्लैट प्रोफेशनल फ्लैट न0 01, गोलमुरी, जमशेदपुर, झारखण्ड, पिन—831003 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश रंजन,)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0 सं0 / प्रशा0)